

मनरेगा के तहत संशोधित मज़दूरी दर

प्रलिस के लयि:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS), न्यूनतम मज़दूरी अधनियम, 1948, डॉ अनूप सत्पथी समति

मेन्स के लयि:

गरीबी, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, वकिस से संबंघति मुद्दे, मनरेगा और संबंघति मुद्दे ।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में ग्रामीण वकिस मंत्रालय ने वतितीय वर्ष 2022-23 के लयि [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम \(मनरेगा\)](#) के तहत नई मज़दूरी दरों को अधसूचति कयि है ।

- मज़दूरी दरों को [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम, 2005](#) के तहत अधसूचति कयि गया है ।
- मनरेगा मज़दूरी दर [उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृष शरम \(CPI-AL\)](#) में बदलाव के अनुसार तय की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में [मुद्रासफीता](#) में वृद्धि को दर्शाता है ।

संशोधति दरें:

- 34 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में से 21 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में **5% से कम वृद्धति** तथा **10 राज्यों में 5% से अधिक** की वृद्धि हो रही है ।
 - जनि 31 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में मज़दूरी में वृद्धि देखी गई, उनमें से **सबसे अधिक 7.14% गोवा** में दर्ज की गई है ।
 - सबसे कम 1.77% की वृद्धि मेघालय में हुई है ।
- तीन राज्यों- **मणपुर, मज़ोरम और त्रपुरा की मज़दूरी दरों** में कोई बदलाव नहीं हुआ है ।

मनरेगा:

- **परचिय:** मनरेगा दुनयि के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है ।
 - योजना का प्राथमकि उद्देश्य कसि भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनकि कार्य से संबंघति अकुशल शारीरकि कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वतितीय वर्ष में 100 दनिों के रोज़गार की गारंटी देना है ।
- **कार्य का कानूनी अधिकार:** पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के वपिरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार-आधारति ढाँचे के माध्यम से चरम नरिधनता के कारणों का समाधान करना है ।
 - लाभार्थयिँ में कम-से-कम एक-तहिाई महलिाँ होनी चाहयि ।
 - [मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधनियम, 1948](#) के तहत राज्य में कृष मज़दूरों के लयि नरिदषिट वैधानकि न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप कयि जाना चाहयि ।
- **मांग-प्ररति योजना:** मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कइसके तहत कसि भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दनिों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थति गारंटी प्राप्त है, जसिम वफिल होने पर उसे 'बेरोज़गारी भत्ता' प्रदान कयि जाता है ।
 - यह मांग-प्ररति योजना शरमकिों के स्व-चयन (Self-Selection) को सक्षम बनाती है ।
- **वकिंदरीकृत योजना:** इन कार्यों के योजना नरिमाण और कार्यानवयन में [पंचायती राज संस्थाओं \(PRIs\)](#) को महत्त्वपूर्ण भूमकिाँ सौपकर वकिंदरीकरण की प्रक्रयिा को सशक्त करने पर बल दयिा गया है ।
 - अधनियम में आरंभ कयि जाने वाले कार्यों की सफारशि करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौपा गया है और इन कार्यों को कम-से-कम 50% उनके द्वारा ही नषिपादति कयि जाता है ।

॥



योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध समस्याएँ:

- **धन के वितरण में देरी और अपर्याप्तता:** अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा नरिदषिट 15 दिनों के भीतर अनविरूप रूप से मज़दूरी भुगतान करने में वफिल रहे हैं। इसके साथ ही मज़दूरी भुगतान में देरी हेतु श्रमिकों को मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता है।
 - इसने योजना को एक आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक इसके तहत काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
 - इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते रहे हैं और इसे स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि मज़दूरी भुगतान में देरी धन की अपर्याप्तता का परिणाम है।
- **जाति आधारित पृथक्करण:** भुगतान में देरी के मामले में जाति के आधार पर भी उल्लेखनीय भिन्नताएँ नज़र आई हैं, जबकि नरिदषिट सात दिनों की अवधि के अंदर अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिये 46% और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिये 37% भुगतान सुनिश्चित होता नज़र आया था, गैर-एससी/एसटी श्रमिकों के लिये यह मात्र 26% था।
 - मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्यों में जाति-आधारित पृथक्करण का नकारात्मक प्रभाव तीव्र रूप से महसूस किया गया है।
- **पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावी भूमिका:** बेहद कम स्वायत्तता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं।
- **बड़ी संख्या में अधूरे कार्य:** मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत संपन्न कार्य की गुणवत्ता व परसिंपत्त निर्माण समस्याजनक रही है।
- **जॉब कार्ड में धांधली:** फर्जी जॉब कार्ड, कार्ड में फर्जी नाम शामिल करने, अपूर्ण प्रवषिटियाँ और जॉब कार्डों में प्रवषिटियाँ करने में देरी जैसी भी कई समस्याएँ मौजूद हैं।

आगे की राह

- विभिन्न सरकारी विभागों और कार्य आवंटन तथा मापन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- भुगतान अदायगी के मामले में व्याप्त कुछ वसिगतियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र की महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 22.24% कम आय प्राप्त होती है।
- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हर गाँव में सार्वजनिक कार्य शुरू हो। कार्यस्थल पर आने वाले श्रमिकों को बना किसी देरी के तुरंत काम दिया जाना चाहिये।
- स्थानीय नकियों को सक्रियता से वापस लौटे और क्वारंटाइन किये गए प्रवासी कामगारों की सहायता करना चाहिये तथा उन लोगों की मदद करनी चाहिये जिन्हें जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायतों को कार्यों को मंजूरी देने, कार्य की मांग पर इसकी पूर्त करने और समयबद्ध मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संसाधन, शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व सौंपे जाने की आवश्यकता है।
- मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं, जैसे- ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत अभियान आदि के साथ संबद्ध किया जाना भी उपयुक्त होगा।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभान्वति होने के पात्र हैं? (2011)

- (a) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य
- (b) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (c) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (d) किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य

उत्तर: (d)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस